उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर
आर.बी.ई.सं. 19/2011
दिनांक 17/2/11

सं. 655/E/o/Promotion

RBE No. 19/2011

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक– जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक– अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक– अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण– जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.–जयपुर
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.– जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.– जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड– अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान– उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र– जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.– जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय – महाप्रबंधक प्रका.– जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एंव वेतन विभाग प्रका.– जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.– जयपुर.

विषय :– Procedure for conducting typewriting test on computers.

संदर्भ :– Railway Board letter No. E(NG)I-2004/CFP/8 dt- 4/2/2011

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 4/2/11 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एंव सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सलंग्न– यथोक्त।

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपिः–

1. महासचिव– एनडब्ल्यूआरईयू 15 प्रतियॉं।
2. महासचिव– यूपीआरएमएस 15 प्रतियॉं।
3. महासचिव– एससी/एसटी एसो. 15 प्रतियॉं।
4. महासचिव– ओबीसी एसो. 05 प्रतियॉं।
5. महासचिव– पदोन्नत अधिकारी एसो. 15 प्रतियॉं।

RB/ESTT.NO. 19/2011

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2004/CFP/8 New Delhi, dated 04.02.2011

The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units.
(As per standard list)

Sub:- Procedure for conducting typewriting test on computers.

In terms of this Ministry's letter of even dated 04.07.2005, in case of promotion of an employee from Group 'D' (now placed in Group 'C' in Grade Pay Rs.1800) to Group 'C' in the ministerial cadre and promotion of Clerks as Sr.Clerks against LDCE/Graduate quota, typewriting skills are required to be tested on Personal Computers (PCs) at the speed of 40 words per minute (w.p.m.) in English or 35 words per minute (w.p.m.) in Hindi with the stipulation that editing tool for correcting the mistakes in the typed matter may be allowed to function. It was also decided that in case of difficulty in conducting the test on computers, the existing procedure for conducting the typewriting test on typewriters at the speed of 30 w.p.m. in English and 25 w.p.m. in Hindi will remain in force.

2. Pursuant to the certain modifications carried out in the procedure for conducting type test for those candidates who are recruited directly from open market through RRBs and also a demand raised by one of the Railways, the need of adopting these modifications in conducting typing test for promotees, has also been experienced necessary. Accordingly, the matter has been considered by the Board and it has been decided that para 7 (i) & 7(ii) including the note given below it, of the annexure to Board's letter ibid, may be modified as under:-

(i) The minimum speed may be fixed at 30 w.p.m. in English and 25 w.p.m. in Hindi for the typing test to be conducted on both Manual typewriters and Personal Computers.

(ii) 5% mistakes of the total words typed may be ignored and thereafter for every mistake corresponding words may be deducted from the total words typed for arriving at final speed.

contd---2.

For example:-

For a typing test of 10 minutes:-

5% mistakes of total words typed are ignored.

Total strokes typed	:	1600
Words typed	:	1600/5=320
Mistakes	:	19
Ignorable mistakes	:	5% of 320 = 16
Remaining mistakes	:	19-16 = 3
Mistakes to be deducted for arriving at net words typed	:	320-(3x10)=290

As per formula : $\frac{\text{No. of total words typed-(No. of mistakes x 10)}}{\text{time}}$

Speed per minute	:	290/10 = 29

(iii) Use of editing tools for correcting the mistakes of the typed matter should not be permitted in case typing test is conducted on computer if the candidate opts to type at speed of 25 w.p.m. in Hindi and 30 w.p.m. in English. This function should be disabled before conducting typing test.

(iv) In case, typewriting skills are tested on Personal Computers (PCs) at the speed of 40 w.p.m. in English and 35 w.p.m. in Hindi, the use of editing tool for correcting the mistake may be permitted to function as per procedure in vogue but the benefit of ignorance of 5% mistakes will not be allowed.

3. It has also been decided that the procedure as revised above will be applicable from the date of issue of this letter.

(This also dispose of W.C. Railway's letter No.WCR/ka.HQ/Confd/Typing Test dated 22.07.2010)

Please acknowledge receipt.

(M.K. Meena)
Dy. Director Estt. (N)
Railway Board

No.E(NG)I-2004/CFP/8 New Delhi dated 04-02-2011

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

आरबी/स्था सं. १९/2011

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एनजी)I/2004/सीएफपी/8 नई दिल्ली, दिनांक: ०५ .02.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
(मानक सूची के अनुसार)

विषयः कंप्यूटरों पर टंकण परीक्षा आयोजित करने संबंधी प्रक्रिया।

इस मंत्रालय के दिनांक 04.07.2005 के समसंख्यक पत्र के अनुसार, कर्मचारी की लिपिक वर्गीय संवर्ग में ग्रुप 'डी' (जिन्हें अब ₹ 1800/- के ग्रेड पे में ग्रुप 'सी' में रखा गया है) से ग्रुप 'सी' में पदोन्नति होने और एलडीसीई/ग्रेजुएट कोटे के अंतर्गत लिपिकों की वरिष्ठ लिपिकों के रूप में पदोन्नति होने पर पर्सनल कंप्यूटरों (पीसीएस) पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट (डब्ल्यूपीएम) अथवा हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट (डब्ल्यूपीएम) की गति से टंकण संबंधी कुशलता की जांच की जानी अपेक्षित होती है जिसके लिए टाइप किए गए मैटर में गलतियों को ठीक करने के लिए एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। यह भी विनिश्चय किया गया था कि कंप्यूटरों पर टंकण संबंधी परीक्षा आयोजित करने में कठिनाई होने पर टाइपराइटरों पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा आयोजित करने की मौजूदा प्रक्रिया लागू रहेगी।

2. उन उम्मीदवारों, जिनकी भर्ती रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से सीधे ऑपन मार्किट से की जाती है, के लिए टंकण परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में किए जाने वाले कुछ आशोधनों और एक रेलवे द्वारा की गई मांग के अनुसार, प्रमोटियों के लिए टंकण परीक्षा आयोजित करने में इन आशोधनों को अपनाना अनुभव के आधार पर भी आवश्यक समझा गया है। तदनुसार, बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के उपर्युक्त पत्र के अनुबंध के पैरा 7(i) एवं 7(ii) और उसके नीचे दिए गए नोट को नीचे दिए अनुसार आशोधित किया जाए:

(i) मैनुअल टाइपराइटरों और पर्सनल कंप्यूटरों दोनों पर आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षा के लिए अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की अधिकतम गति नियत की जाए।

(ii) टाइप किए गए कुल शब्दों में 5% गलतियों पर ध्यान न दिया जाए और तत्पश्चात् अंतिम गति प्राप्त करने के लिए टाइप किए गए कुल शब्दों में से प्रत्येक गलती के लिए तदनुरूपी शब्दों को घटाया जाए।

उदाहरण के लिए:-

10 मिनट की टंकण परीक्षा के लिए:-

टाइप किए गए कुल शब्दों की 5% गलतियों पर ध्यान न दिया जाए।

टाइप किए गए कुल स्ट्रोक	:	1600
टाइप किए गए शब्द	:	1600/5=320
गलतियां	:	19
ध्यान न दी जाने वाली गलतियां	:	320 का 5% = 16
शेष गलतियां	:	19-16=3
टाइप किए गए नेट शब्दों को प्राप्त करने के लिए घटाई जाने वाली गलतियां	:	320-(3x10)=290

फॉर्मूले के अनुसारः $\frac{\text{टाइप किए गए कुल शब्दों की सं.-(गलतियों की सं. x 10)}}{\text{समय}}$

प्रति मिनट गति	:	290/10= 29

(iii) कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित किए जाने पर यदि उम्मीदवार हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करने का विकल्प देता है तो टाइप किए गए मैटर की गलतियों को ठीक करने के लिए एडिटिंग टूल के इस्तेमाल की अनुमति न दी जाए। टंकण परीक्षा आयोजित करने से पहले इस फंक्शन को डिसेबल्ड कर दिया जाना चाहिए।

(iv) पर्सनल कंप्यूटरों पर टंकण संबंधित कुशलता की जांच हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से किए जाने पर प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार गलतियों को ठीक करने के लिए एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए परंतु इस स्थिति में 5% गलतियों पर ध्यान न देने का लाभ न प्रदान किया जाए।

3. यह भी विनिश्चय किया गया है कि ऊपर यथा संशोधित प्रक्रिया इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होगी।

(इससे पश्चिम मध्य रेलवे के दिनांक 22.07.2010 के पत्र सं. डब्ल्यूसीआर/का.एचक्यू/कॅन्फ/टाइपिंग टेस्ट का भी निपटान हो जाता है)

कृपया पावती दें।

(एम.के. मीना)
उप निदेशक, स्थापना (अराज)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (एनजी)I/2004/सीएफपी/8 नई दिल्ली, दिनांक: 04 .02.2011

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, ऑल इंडियन रेलवेमैन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001.
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इंप्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।